25 हजार का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार

श्रावस्ती। हरदत्त नगर गिरंट पुलिस व सर्विलांस सेल टीम ने शुक्रवार रात गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 25 हजार रुपये के इनामी वांछित को रेशम फार्म गौसपुर के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बहराइच के पयागपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम काशीजोत निवासी जलील अहमद के विरुद्ध पुलिस ने कार्रवाई कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। वहां से उसको जेल भेज दिया है। (संवाद)

बालिका संग दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास

- दोषी पर एक लाख रुपये का लगाया गया अर्थदंड
- अर्थदंड अदा न करने पर भुगतनी होगी एक वर्ष की अतिरिक्त जेल

जासं • श्रावस्ती : साढ़े चार वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को एडीजे ने 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

विशेष लोक अभियोजक रोहित कुमार गुप्ता ने बताया कि 11 फरवरी 2024 को गिलौला क्षेत्र के एक गांव निवासी साढ़े चार साल की बालिका घर के पीछे खेल रही थी। इसी दौरान चीखने की आवाज पर मां घर के पीछे गई तो देखा कि शिवकुमार खड़ैल उसके साथ मड़ई में जबरदस्ती दुष्कर्म कर रहा था। मां को देखते ही वह मौके से फरार हो गया। पिता की तहरीर पर गिलौला थाने में मामला दर्ज हुआ।

विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया। विचारण व सुनवाई के बाद एडीजे निर्दोष कुमार ने दोषी को सजा सुनाई। उन्होंने अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।